ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मा नं0 202/15

ल्लू पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी ग्राम नगला मुकारिब तहसील कामां
वादी

बनाम

सीना पत्नि अजमत
सरू पुत्र जोरमल जाति मेव निवासी नगला मुकारिब तहसील कामां
प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53–88

पस्थित अधिवक्ता
श्री रूपसिंह वादी
श्री फूलचन्द गुप्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 10.03.2021

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बान 608/283 ,रकवा 0.20, वाके नगला मुकारिब तहसील कामां वादी व प्रतिवादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है । आराजी मुतनाजा में वादी का 1/4 हिस्सा है । वादी अपने 1/4 हिस्से की आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार प्रतिवादीण के साथ सामलाती तौर पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । और मौके पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में सभी पक्षकारान सामलाती तौर पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की आराजी में व्यवधान पैदा करना चाहते है। इसलिए वादी ने आराजी मुतनाजा का मुताबिक हिस्सा आपसी बंटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया । प्रतिवादीगण का समस्त रकवा में कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । लेकिन प्रतिवादी गण लट्ठ व ताकत के बल पर बिना विभाजन कराये ही आराजी मुतनाजा में निर्माण कार्य करना चाहते है। तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं । जिसके बावत दिनांक 12.10.2015 को ऐलानियां धमकी दी है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा वर्णित मद नं0 2 वाद पत्र को बिना विभाजन कराये रहन वयमुन्तकिल न करें , वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत न करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें । मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा काश्त में व्यधान पैदा न करें । अतः आराजी मुतनाजा का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी का बंटवारा कराकर अलग अलग राज लगान व जमाबन्दियां कायम करा पाने का अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित आया । तथा जबाव पेश किया कि आराजी मुतदाविया संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी नहीं है । बल्कि इस आराजी का पहले से ही आपस में बंटवारा हो रहा है । आराजी मुतदाविया पहले खसरा नम्बर 283/1 रकवा 20 एयर था जो रूस्तम पुत्र मुराद जाति मेव निवासी नगला मुबारिक को बंटवारे में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्त हुआ था और रूस्तम ने अपने इस रकवे में से 1/2 हिस्सा यानी 10 एयर रकवा मुझ तिवादनी को बेचान कर दिया और मुझ प्रतिवादनी को बेचान करने के बाद खसरा नम्बर 33/1/0.20 एयर का विभाजन रूस्तम व मुझ प्रतिवादनी के मध्य हो गया । जिसके ताबिक पूरब का हिस्सा मुझ प्रतिवादनी के बट व हिस्से में आया । जिस पर बंटवारे के बाद ह काबिज हो गई तथा पश्चिम का हिस्सा रूस्तम के पास रहा जिसमें से उसने मुझ तिवादनी के हिस्से के सहारे पश्चिम दिशा में अपना 1/4 हिस्सा मेरे लडके उस्मान को चान कर मौके पर कब्जा दे दिया । और मेरा उस पर लडके ने उस पर निर्माण कर काबिज । बाके 1/4 हिस्सा जो रूस्तम का शेष रहा उस पर हमीदा नाम के व्यक्ति ने रिहायश कर रखी है । रूस्तम ने बिना कब्जे व बिना अधिकार के दिनांक 8.09.2012 नसरू को बेचान केया । नसरू ने भी इसी प्रकार वादी को बेचान कर दिया । आराजी मुतदाविया के 1/2 हेस्से पर नसरू का कब्जा नहीं रहा और ना पहलू का कभी कब्जा रहा है । इस प्रकार वादी का कोई वैधानिक 1/4 हिस्सा नहीं है । और ना वह 1/4 हिस्से पर काबिज है । आराजी मुतदाविया का बंटवारा पूर्व के मालिक रूस्तम के समय में ही हो गया था। और बंटवारे के अनुसार मौके पर निर्माण हो रहा है । इसलिए वादी किसी प्रकार का बंटवारा करा पाने का अधिकारी नहीं है । दिनाक 12.10.2015 को वादी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं है और वादी हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री पाने का अधिकार नहीं है ।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य में जमाबन्दी सं0 2067–2070, मेवखां पुत्र हसमल जाति मेव निवासी ग्राम नगला मुकारिब का शपथ पत्र व बयान, पहलू पुत्र रूस्जदार जाति मेव निवासी नगला मुकारिक का शपथ पत्र व बयान, फकरू पुत्र तोला जाति मेव निवासी नगला मुकारिक व मुबारिक पुत्र जहाजखां जाति मेव निवासी ग्राम नगला मुकारिब शपथ पत्र पेश किये है । प्रतिवादी वकील ने साक्ष्य पेश नहीं किये । जिससे साक्ष्य बन्द किये जाकर साक्ष्य बन्द किये गये ।

पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । वादी अधिवक्ता ने बहस में दावा में लिखित तथ्यों को दोहराया । तथा प्रतिवादी बकील ने जबाव में लिखित तथ्यों को दोहराया ।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी । निष्कर्ष यह है कि वादी द्वारा विवादित भूमि का सहखातेदारों के मध्य विभाजन का दावा पेश किया है, लेकिन वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य विवादित भूमि की जमाबन्दी सं0 2067–70 ग्राम नगला मुकारिव पटवार मण्डल मूसेपुर तहसील कामां से सहखातेदारों का हिस्सा स्पष्ट नही होता है ।

अतः साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा खारिज किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे । बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021को खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner